न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू , जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 19/2017 निर्णय दिनांक :– 26-12-19

उनवान

1. गिर्राज प्रसाद पुत्र श्री बंशीलाल जाति बैरवा, निवासी ग्रम भगवानपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान।

––वादी

बनाम

1. बंशीलाल पुत्र कल्याण
2. रामकरण पुत्र कल्याण
3. बालूराम पुत्र कल्याण
4. हेमराज पुत्र बंशीलाल

समस्त जाति बैरवा, निवासी– भगवानपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर राज.।

5. सरकार जरिये तहसीलदार चाकसू जिला जयपुर ।
6. उप पंजीयक चाकसू जिला जयपुर।

––प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

प्रोफार्मा

7. हजारी पुत्र बीज्या जाति बैरवा, निवासीः– भगवानपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर राज.।

––प्रतिवादीगण

दावा घोषणा खातेदारी, एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 188, रा0टी0एक्ट

वादी ने वाद पत्र निम्न प्रकार से पेश किया कि :– वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि आराजी खाता सं. 104 खसरा नंबर 224 रकबा 0.06 है0, खसरा नंबर 233 रकबा 0.04 है0, कुल किता 02 कुल रकबा 0.10 है0 एवं खाता सं. 105 खसरा नंबर 207 रकबा 0.23 है, खसरा नंबर 208 रकबा 0.09 है, खसरा नंबर 209 रकबा 0.03 है0, खसरा नंबर 213 रकबा 0.32 है0, खसरा नंबर 213/854 रकबा 0.07 है0 कुल किता 05 कुल रकबा 0.74 है0 एवं खाता सं. 102 खसरा नंबर 218/1 रकबा 0.07 है0, खसरा नंबर 219 रकबा 0.17 है0, खसरा नंबर 220 रकबा 0.18 है0, खसरा नंबर 223 रकबा 0.36 है0, खसरा नंबर 237 रकबा 0.28 है0, खसरा नंबर 238/879 रकबा 0.02 है0, खसरा नंबर 239 रकबा 0.36 है0, कुल किता 07 कूल रकबा 1.44 है0 भूमि

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

वाके ग्राम भगवानपुरा, तहसील चाकसू जिला जयपुर में स्थित है जो वादग्रस्त भूमि है। उक्त भूमि वादी व प्रंतिवादीगण की पैतृक भूमि है। जिसकी वर्तमान में खातेदारी प्रतिवादी सं. 01 से 03 के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादीगण का सजरा खानदान वाद पत्र के पैरा नम्बर 2 में वर्णित है। वादी व प्रतिवादीगण स्व. कल्याण जी की संताने है। वादी व प्रतिवादीगण पर हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम लागू होते है। जिससे वादी का जन्म जात हित निहित है। प्रतिवादी सं. 01 वादी का पिता है। जो कि वादी के पिता जी प्रतिवादी सं. 01 की पहले वाली धर्मपत्नि के एकमात्र पुत्र वादी ही हुआ था तथा दूसरी पत्नि के प्रतिवादी सं. 04 हेमराज हुआ है। जिसकी वजह से प्रतिवादी सं. 01 दूसरी पत्नि व इनका प्रतिवादी सं. 04 ने प्रतिवादी सं. 01 को अपने बहकावे में ले रखा है तथा वादी को उक्त पैतृक संपत्ति से बेदखल करना चाहता है तथा सरेआम कहते है कि तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जिससे वादी प्रतिवादी सं. 01 के हक व हिस्सा में से 1/2 भाग की खातेदारी घोषणा करवाने तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे। जिसका वादी कानूनन अधिकारी है। प्रतिवादी सं. 01 व इनकी दूसरी पत्नि तथा इनका पुत्र प्रतिवादी सं. 04 आपस में मिले हुये है। जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं. 1 पूर्णरूप से इनके प्रभाव में आ रखा है। जिससे वो पहले वाली धर्मपत्नि के पुत्र वादी

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

को उक्त आराजी से बेदखल करना चाह रहा है तथा भूमि को दीगर व्यक्तियो को बेचान करने के लिये सरेआम धमकिया दे रहा है। वादी अपनी पैतृक भूमि पर काश्त का काम कर रहा था तो दिनांक 17.01.2017 को मिन प्रतिवादी सं. 01व इनकी दूसरी पत्नि तथा प्रतिवादी सं. 04 मय दीगर व्यक्तियो को लेकर आये और सरेआम वादी को काश्त करने से मना करने लग गये। तब वादी ने बहुत निवेदन किया कि जमीन मे मेरा भी हिस्सा निहित है। परन्तु इन्होने बेचान की सरेआम धमकिया देने लग गये तथा वादी को बेदखल करने पर आमदा हो गये। वादी के लिये आवश्यक हो गया कि वो वादग्रस्त आराजी मे प्रतिवादीं सं. 01 के हक व हिस्सा में से 1/2 भाग की खातेदारी घोषणा करावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे। जिससे वो वादी के कब्जे काश्त में किसी तरह की दखलदाजी एवं मजामहत पैदा नहीं करे, ना ही बेदखल करे, ना ही बेचान करे, ऐसा ना तो स्वंय करे, ना ही अन्य से करावे। वादी के लिये वाद कारण दिनांक 17.01.2017 को प्रतिवादी सं. 01 व इनकी दूसरी पत्नि व प्रतिवादी सं. 04 मय दीगर व्यक्तियो को कक काश्त के लिये मना करने व ऐलानिया धमकिया देने पर उत्पन्न हुआ। जिससे वाद श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। प्रतिवादी सं. 05 भूमिधारी होने तथा प्रतिवादी सं. 06 उप पंजीयक होने से वाद में पक्षकार बनाया गया है इनके

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

खिलाफ दावे में कोई रिलिफ नहीं चाही गई है। विवादित आराजी श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण वाद कि सुनवायी का क्षेत्राधिकार मान्य न्यायालय हाजा को हासिल है। वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खाता सं. 104 खसरा नंबर 224 रकबा 0.06 है0, खसरा नंबर 233 रकबा 0.04 है0, कुल किता 02 कुल रकबा 0.10 है0 एवं खाता सं. 105 खसरा नंबर 207 रकबा 0.23 है, खसरा नंबर 208 रकबा 0.09 है, खसरा नंबर 209 रकबा 0.03 है0, खसरा नंबर 213 रकबा 0.32 है0, खसरा नंबर 213/854 रकबा 0.07 है0 कुल किता 05 कुल रकबा 0.74 है0 एवं खाता सं. 102 खसरा नंबर 218/1 रकबा 0.07 है0, खसरा नंबर 219 रकबा 0.17 है0, खसरा नंबर 220 रकबा 0.18 है0, खसरा नंबर 223 रकबा 0.36 है0, खसरा नंबर 237 रकबा 0.28 है0, खसरा नंबर 238/879 रकबा 0.02 है0, खसरा नंबर 239 रकबा 0.36 है0, कुल किता 07 कूल रकबा 1.44 है0 भूमि वाके ग्राम भगवानपुरा, तहसील चाकसू जिला जयपुर में स्थित है में प्रतिवादी सं. 04 के हक व हिस्सा में से वादी को 1/2भाग का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे तथा इसका अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया जावे। प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो वादी के कब्जे काश्त में किसी तरह की दखलदांजी एवं मजाहमत पैदा न करे, ना ही भूमि का बेचान करे,

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

ना ही भूमि पर जबरन कब्जा करे, ऐसा ना तो स्वयं करे ना ही अन्य से करावे। दावा वकील वादी के वकील द्वारा पेश किये जाने पर दावा रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गयी तो कोई भी हाजीर नही आया। दावा का जवाब सरकार तहसीलदार से लिया गया तो जवाब सरकार निम्न प्रकार पेश किया गया कि :– मुताबिक जमाबंदी संवत 2071 से 2074 ग्राम भगवानपुरा खाता संख्या 102 के खसरा नम्बर 218/1, 2019, 220, 223, 237, 238/879, 239 किता 7 रकबा 1.44 है0 रामकरण बंशीलाल पिता कल्याण जाति बैरवा हिस्सा 2/3 बिला रहन बालूराम पुत्र कल्याण हिस्सा 1/3 राहिन यूको बैंक शाखा चाकसू मुर्तहीन खाता संख्या 104 के खसरा नम्बर 224, 233 किता 2 रकबा 0.10 है0 रामकरण बालूराम, बंशीलाल पिता कल्याण हिस्सा 1/2 हजारी पुत्र बीज्या हिस्सा 1/2 जाति बैरवा सा0 देह खाता संख्या 207, 208, 209, 13, 213/854 किता 5 रकबा 0.74 है0 रामकरण बालूराम, बंशीलाल पिता कल्याण हि0 जाति बैरवा सा देह खातेदार दर्ज है। खाता संख्या 102, 104, 105 में स्थगन श्रीमान एस0डी0एम0 चाकसू के आदेशानुसार गिर्राज बनाम बंशीलाल में रहन नही करने मोके व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश है। अतः मद संख्या 1 राजस्व जमाबंदी संवत 2071 से 2074 में दर्ज अंकन अनुसार स्वीकार है। वाद की मद संख्या 2 वादी स्वयं

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

सिद्ध करे। वादी की मद संख्या 3 व 4 वादी से संबंधित है, वादी स्वयं सिद्ध करे। वाद की मद संख्या 5 कानूनी है। वाद की मद संख्या 6 वादी स्वयं सिद्ध करे। वाद की मद संख्या 7 से 10 कानूनी है। जवाब दावा सरकार का पेश होने पर वकील की बहस दावा सुनी गई तो दौराने बहस वकील वादी ने दावे का समर्थन करते हुये दावा वादी डिक्री किया जाना जाहिर किया। दावे के समर्थन में वादी वकील ने वादग्रस्त भूमि का नक्शा ट्रेस ग्राम भगवानपुरा की जमाबंदी 2071–74 खाता संख्या 105, 102 ग्राम पंचायत छांदेल का वारिस प्रमाण पत्र व नकल जमाबंदी संवत 2051–70 की फोटो प्रति बतौर दस्तावेज पेश किये गये। वकील वादी की बहस पर गौर किया व दावा एवं प्रस्तुत दस्तावेज का परीक्षण किया गया तो वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम भगवानपुरा में स्थित है जमाबंदी संवत 2051–70 के अनुसार कल्याण पुत्र बिज्या के नाम व कल्याण के स्वर्गवास होने पर रामकरण बंशीलाल बालूराम पुत्र कल्याण के नाम जमाबंदी के खाता संख्या 102, 105 के अनुसार दर्ज रिकार्ड है वादी व प्रतिवादी स्व0 कल्याण की संताने है जो हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत वादी का वादग्रस्त भूमि में हित निहित होने से वादी वादग्रस्त भूमि में अपना हक व हिस्सा पाने का अधिकार होने से दावा वादी डिक्री किया जाना उचित समझते है। दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर 224, 233, किता 2 रकबा 0.10 है0 व खसरा नंबर 207, 208, 209, 213, 213/854 किता 5 रकबा 0.74 है0 व खसरा नम्बर 218/1, 219, 220, 223, 237, 238/879, 239, किता 1.44 है0 भूमि वाके ग्राम भगवानपुरा तहसील चाकसू प्रतिवादी संख्या 1 बंशीलाल पुत्र कल्याण के हक व हिस्से में से 1/4 हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2020.02.12 16:22:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: